

राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक
कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0स0 111/2018/रे0वाद/

निर्णय दिनांक :- 08.08.2019

अनवान

1. श्री लखमा पिता चुना माली जाति माली आयु 58 साल निवासी चेता आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

-----वादी

बनाम

1. श्री सतवीर सिंह पिता श्री ओम प्रकाश सिंह यादव आयु बालिग निवासी कामलीघाट चेता तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री बंशीलाल पिता पन्ना जी जाति माली आयु बालिग निवासी कामलीघाट चेता तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्रीमति होनी बाई पत्नि श्री मोहन सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री जगदीश पिता मिठा लाल जाति माली आयु बालिग निवासी कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी राजनगर
5. श्री सुरेश पिता मिठा लाल जाति माली आयु बालिग निवासी कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी राजनगर
6. श्रीमति रूकमा पिता मिठा लाल जाति माली आयु बालिग निवासी कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी राजनगर
7. श्रीमति शान्ता पिता मिठा लाल जाति माली आयु बालिग निवासी कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी राजनगर
8. श्रीमति सोहनी पिता रामा जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. श्रीमति सन्तुदेवी पिता रामा जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. श्रीमति कमला पिता रामा जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

11. श्री गोपाल पिता मोहन जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. श्रीमति राजी पिता मोहन जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
13. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

- उपस्थित :-
01. श्री इन्द्रमल वकील वादी
 02. श्री लुम्बसिंह वकील प्रतिवादी


तहसीलदार देवगढ़ ने आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया जो उचित प्रतीत होता हैं। बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाडा निम्न प्रकार से किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाते भी अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश किये जाते हैं।

ग्राम चेताआसन पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजियात।

गाम चेताआसन

1. श्री सतवीर सिंह यादव पिता ओमप्रकाश यादव सा. देह खातेदार निवासी कामलीघाट चेता तहसील देवगढ़ के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लान
76	0.01.10	पड़त	0.02
87	0.06.02	बीड1 - 0.01 कु 2 - 0.05.02	0.02 1.23
योग - 2	0.07.12	-	1.27


सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

2. लखमा पिता चुना माली सा. देह खातेदार निवासी चेताआसन तहसील देवगढ़ के हिस्से व खाते :-


आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
87/2	0.00.15	कु 2	0.17
योग - 1	0.00.15	-	0.17

3. बंशीलाल पिता पनालाल 2394/10105 गोपाल राजी पिता मोहन 103/10105 सोहनी सन्तु कमला पिता रामा 706/10105 माली सा. देह राधा देवी पत्नि बाबुलाल कलाल 3372/10105 सा. भोजपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा हॉनी बाई पत्नि मोहन सिंह 3294/10105 रावत सा. कमला, जगदीश, सुरेशचन्द्र, रूकमा शान्ता पिता मिठालाल 236/10105 माली सा. खातेदार निवासी राजनगर के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
76/2	0.02.10	पड़त 1	0.04
87/1	0.06.03	बीड1 - 0.03 कु 2 - 0.03.03	0.07
योग - 2	0.08.13	-	0.91

वादी वादग्रस्त कुलिया लगान की 5 गुणा राशि के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करने पर राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।


 सहायक कलेक्टर
 सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
 देवगढ़ जिला-राजसमन्द

डिग्री व मुकद्दमे इब्दाई

निर्णय बर्डजलास श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 111/2018/रे0वाद/

निर्णय दिनांक :- 08.08.2019

अनवान

1. श्री लखमा पिता चुना माली जाति माली आयु 58 साल निवासी चेता आसन
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—वादी

बनाम

1. श्री सतवीर सिंह पिता श्री ओम प्रकाश सिंह यादव आयु बालिग निवासी
कामलीघाट चेता तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री बंशीलाल पिता पुन्ना जी जाति माली आयु बालिग निवासी कामलीघाट
चेता तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्रीमति होनी बाई पत्नि श्री मोहन सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी
कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री जगदीश पिता मिठा लाल जाति माली आयु बालिग निवासी कामली
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी राजनगर
5. श्री सुरेश पिता मिठा लाल जाति माली आयु बालिग निवासी कामली
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी राजनगर
6. श्रीमति रूकमा पिता मिठा लाल जाति माली आयु बालिग निवासी कामली
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी राजनगर
7. श्रीमति शान्ता पिता मिठा लाल जाति माली आयु बालिग निवासी कामली
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल निवासी राजनगर
8. श्रीमति सोहनी पिता रामा जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. श्रीमति सन्तुदेवी पिता रामा जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. श्रीमति कमला पिता रामा जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन
तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द


सहायक कलक्टर

11. श्री गोपाल पिता मोहन जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. श्रीमति राजी पिता मोहन जाति माली आयु बालिग निवासी चेताआसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
13. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द


— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

- उपस्थित :-
01. श्री इन्द्रमल वकील वादी
 02. श्री लुम्बसिंह वकील प्रतिवादी

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरू
 मिनजानिब मुदयलह पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व
 डिक्री दी जाती हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम चेता आसन
 पटवार हल्का कामली के खाता नम्बर 17/16 आराजी नम्बर नम्बर 76 रकबा 0.04 विस्वा
 एवं आराजी नम्बर 87 रकबा 0.13 विस्वा कुल कित्ता 2 रकबा 0.17 विस्वा भूमि मिट्स
 एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर भूमि का माफिक हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवाडा करने के
 आदेश दिये जाते हैं।
 नीज

..... बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर मुबलिग
 फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक
 का अदा करें।
 बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08 मास अगस्त सन् 2019
 को जारी की गयी।


 सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
 देवगढ़ जिला-राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै०	मुद्रायला	रूपया	पै०
स्टाम्प अरजी दावा	6	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	2	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील)पर	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	फीस कमीशनर	0	00
फीस कमीशनर	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	38	00	मुतफरिंक	0	00
मुतफरिंक	0	00		0	
			मिजान		
मिजान	46	00		00	00

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिएं।


 सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
 देवगढ़ जिला-राजसमन्द